

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: 5857/उ0ख0/भूखनि0नि0/ई-निविदा तकनी0नि0/2023-24,

दिनांक 03 फरवरी, 2024

विदेशी निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4842/उ0ख0ला/ई0नि0/वि0का0ज्ञ0/भूखनि0नि0/2023-24, दिनांक 15 दिसंबर, 2023 के द्वारा विज्ञापिकरण हेतु प्रदत्त स्थीरत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमत्रण प्रपत्र संख्या 4895/01_CHM/भूखनि0नि0/ई0नीला0/2023-24, दिनांक 19.12.2023 के द्वारा जनपद व तहसील चमोली के ग्राम भिडतोली, पिण्डर नदी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 01 म0 और 03, खतौनी स0 14(NZA), 10(NZA), कुल रकवा 10.974 म0 रकवा 0.50 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 13500 टन एवं आधार मूल्य रु0 9,45,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाइन निविदा आमत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश संख्या 5485/उ0ख0/भूखनि0नि0/ई-निविदा तकनी0नि0/2023-24, दिनांक 12.01.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, तथा इसका तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 01.02.2024 को घोषित किया गया।

निदेशालय के पत्र संख्या 5813/उ0ख0/भूखनि0नि0/ई-निविदा तकनी0नि0/2023-24, दिनांक 01 फरवरी, 2024 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 31.01.2024 के अनुसार जनपद जनपद व तहसील चमोली के ग्राम भिडतोली, पिण्डर नदी के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 01 म0 और 03, खतौनी स0 14(NZA), 10(NZA), कुल रकवा 10.974 म0 रकवा 0.50 है0 उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाताओं को सफल घोषित किया गया :-

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1	श्री अम्बुदय इन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री सुनित मल्होत्रा	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
2	श्री गणेश प्रसाद	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
3	मै0 उमाशंकर सिंह रावत	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई-निविदा सह ई-नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 02.02.2024 समय पूर्वाहन 11.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली (घनराशि रु0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 to H3 का परिणाम (रु0 में)
1	2	3	4
1.	श्री अम्बुदय इन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री सुनित मल्होत्रा	54,11,111.00	H1
2.	श्री गणेश प्रसाद	33,53,000.00	H2
3.	मै0 उमाशंकर सिंह रावत	21,00000.00	H3

उपरोक्तानुसार ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1,H2, H3, घोषित किया जाता है।

घोषित करते हुए पुनः इन्नलालमा का कायवाहा का जायगा।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अभ्युदय इन्टरप्राईजेज प्रो० श्री सुनित मल्होत्रा, पुत्र उमा शंकर मेहरोत्रा निवासी सदर बाजार रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के H1 बोलीदाता घोषित होने सुनित मल्होत्रा, पुत्र उमा शंकर मेहरोत्रा निवासी सदर बाजार रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रु० 54,11,111.00 (रु० चौवन लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रु० 13,52,778.00 (रु० तेहर लाख बावन हजार सात सौ सठहत्तर मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा हजार सात सौ सठहत्तर मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रु० 9,45,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रु० 2,36,250.00 के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक, द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ०डी०आर० संख्या 42647104741, दिनांक 25.01.2024, रु० 2,36,250.00 (रु० दो लाख छत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रु० 13,52,778.00 - 2,36,250.00 = 11,16,528.00) रु० 11,16,528.00 (रु० ग्यारह लाख सोलह हजार पांच सौ अठाईस मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ०डी०आर० के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन०डी०डब्लू०एल० (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

अतः H1 बोलीदाता अभ्युदय इन्टरप्राईजेज प्रो० श्री सुनित मल्होत्रा, पुत्र उमा शंकर मेहरोत्रा निवासी सदर बाजार रानीखेत, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रु० 11,16,528.00 (रु० ग्यारह लाख सोलह हजार पांच सौ अठाईस मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ०डी०आर० के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए अनुक्रमानुसार एच-२, एवं एच-३ बोलीदाता को एच-१ बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्या: 5857 / उ०ख० / भ०खनि०नि० / वि०निवि०परि० / 2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

- सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - जिलाधिकारी, चमोली।
 - जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद चमोली।
 - एच-1 बोलीदाता अभ्युदय इन्टरप्राईजेज प्रो० श्री सुनित मल्होत्रा, पुत्र उमा शंकर मेहरोत्रा निवासी सदर बाजार रानीखेत, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा।

नेवासी सदर बाजार
मुम्बई
(एसएल० पैट्रिक)
निदेशक